न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 226/2021 (पुराना नं. 139/2005)
आरसीएमएस नं. 2021/226 (पुराना नं. 2005/00088)

1. लिछमा देवी पत्नी फरसाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमागनढं —फौत
2. राजेन्द्र कुमार
3. विनोद कुमार
4. धर्मपाल

} पुत्रगण फरसाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

5. काशीराम पुत्र श्री फूसाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ—फौत
   5/1 राजकौरी पत्नी काशीराम
   5/2 औमप्रकाश पुत्र काशीराम

} जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया

6. रजीराम पुत्र श्री फूसाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

——अपीलांट

बनाम

1. भोमाराम पुत्र लाधूराम —मृतक
   1/1 साहबराम
   1/2 आत्माराम
   1/3 बलवंत
   1/4 गुरदयाल
   1/5 गुड्डी देवी
   1/6 विद्या देवी

} पुत्र पुत्रीयां भोमाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 41 रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

2. रूपराम पुत्र लाधूराम—मृतक
   2/1 पृथ्वी पुत्र रूपराम —फौत
   2/1/1 विमलादेवी पत्नी पृथ्वी जाति जाट साकिन रतनपुरा त0 संगरिया
   2/1/2 मुकेश
   2/1/3 नरेश
   2/1/4 रामकुमार
   2/1/5 प्रेम

} पुत्रगण पृथ्वी जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

2/2 दुलीचन्द पुत्र रूपराम–फौत

2/2/1 कमला पत्नी
2/2/2 संजय पुत्र
2/2/3 सुशील
} दुलीचंद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

2/3 औमप्रकाश
2/4 दलीप
2/5 सावित्री
2/6 सीलो
} पुत्र पुत्रियां रूपराम पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ

3. आत्माराम पुत्र हजारीराम
4. सुभाष पुत्र हजारीराम
5. रामप्रताप पुत्र श्योलाल
6. औमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
7. अमर सिंह पुत्र रामचन्द्र
8. साहबराम पुत्र रामचन्द्र
} जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

9. कृष्ण कुमार नाम कलमजन

10. बृजलाल
11. जगराम
12. बनवारी
} पुत्रगण जोराराम जाति जाट निवासी चक 2 एमजेडी

13. रूपराम पुत्र चुन्नीराम –फौत

13/1 लक्ष्मीनारायण पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 9 रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

14. औमप्रकाश
15. विनोद कुमार
16. प्रहलाद
17. शिशपाल
18. गुड्डी
} पि0 मोमनराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया

19. बनवारी
20. हेतराम
} पिसरान लेखराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ

21. मामकोरी बेवा मनीराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

22. मनफूल पुत्र रामचन्द्र–(मृतक लावल्द)

23. सुजाराम पुत्र रामचन्द्र –फौत

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

23/1 राजेन्द्र
23/2 सैनी
} पि0 सुरजाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया

24. बृजलाल पुत्र रामचन्द्र–मृतक
24/1 प्रहलाल
24/2 विनोद
} पि0 बृजलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।

25. कृष्ण कुमार पुत्र रामचन्द्र –मृतक
25/1 विद्या देवी पत्नी कृष्ण कुमार
25/2 बलराम पुत्र कृष्ण कुमार–मृतक
25/2/1 सोनू पुत्र बलराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया
25/3 दयाराम पुत्र कृष्ण कुमार
25/4 छोटाराम पुत्र कृष्ण कुमार–फौत
25/4/1 सुमन पत्नी छोटाराम
25/4/2 रामकुमार पुत्र छोटाराम

26. देवीलाल पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

27. प्रबन्धक स्टेट बौंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

28. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक संगरिया जिला हनुमानगढ।

29. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

30. हेतराम पुत्र कालूराम–फौत
30/1 पारी देवी पत्नी
30/2 राकेश पुत्र
30/3 विमला पुत्री
} हेतराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

31. मदन पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

32. हेतराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी रतनुपरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

33. सुरेन्द पुत्र काशीरमा (5/3) जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.09.2005 प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.10.2005 अंतिम डिक्री दिनांक 10.11.2005 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया
प्रकरण संख्या 60/1999 अनवान भोमाराम बनाम रूपाराम आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थितिः–

श्री धीर सिंह बराड़, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री खुशप्रीत सिंह संधू, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 /1

निर्णय दिनांक 03.03.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद इस अमर का पेश कियाकि चक 4 पीटीपी के खाता संख्या 96/95 की 1.947 है0 आराजी वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज है। वादी ने प्रतिवादी के साथ अच्दी मन्दी के हिसाब से भूमि का घरू विभाजन कर रखा है व इसी अनुसार काबिज है। वादी के हिस्से में प. नं. 177/193 किला नं. 3, 8, 13, 18 कुल 4 बीघा भूमि आई है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी का खाता अलग कायम कर रकम आज अलग कामय की जावे। प्रतिवादी नं. 29 ता 31/अपीलांट्स ने जवाब दावा पेश किया जिसमें विभाजन एवं कब्जा से इंकार किया प्रश्नगत भूमि को अपने कब्जा काश्त में होना बताया। साथ ही काउण्टर क्लेम पेश किया कि लाधू, कालू, फूसा के नाम चक 2 एम.जे.डी. में 39.07 बीघा, चक 1 एम.एम.के. में 6.10 बीघा बहिस्सा बराबर चक नं. 3–4 पीटीपी में लाधू के नाम 154 हिस्सा व कालू फूसा के नाम 726 हिस्सा बहिस्सा बराबर आराजी थी व प्रतिवादी के पिता के नाम चक 2 एम.जे.डी. में 13 बीघा, 1 एममएके में 2.03 बीघा, चक 3–4 पीटीपी में 18.03 बीघा आराजी दर्ज कागजात थी। लाधू, फूसा ने अपने काश्त की भूमि का 50 वर्ष पूर्व घराघरू बंटवारा कर लिया था। घरू बंटवारा में पिता वादी लाधूराम ने चक 3–4 पीटी की अपने हक हिस्सा को 7.14 बीघा आराजी अपने भाई फूसा पिता प्रतिवादीगण को दी व फूसा ने इसकी एवज में अपने हक हिस्सा की चक 1 एम. एम.के. की 2.03 बीघा चक 2 एम.जे.डी. की 6.02 बीघा आराजी लाधू को दी, उसी समय से ही इसी प्रकार कब्जा काश्त चला आ रहा है। चक 1 एम.एम.के. व 2 एम.जे.डी. में हमारा कब्जा काश्त नहीं है बल्किा लाधूराम के वारिसान का है तथा चक 4 पीटीपी में लाधूराम के हिस्से की 154 हिस्सा यानि 7.14 बीघा पर हमारा कब्जा हे लेकिन कागजात मुं लाधू के वारिसान वादी व प्रतिवादी नं. 1 नाम बहिस्सा बराबर दर्ज चली आ रही है जिसका वादी व प्रतिवादी नं. 1 नाजायज फायदा उठा रहे हे।। अतः काउटर क्लेम पेश कर निवेदन है कि चक 4 पी.टी.पी. जमाबंदी सं0 2056 खाता नं. 96/95 में से भोमाराम, रूपराम, पिसरान लाधूराम का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादीगण का नाम अंकित किया किया जावे।

2. रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने काउण्टर क्लेम का जवाब पेश किया कि विवादित भूमि वादी/रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पिता के कभी भी विभाजन नही किया। बल्कि वादी ने अपनी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

विवादित भूमि प्रतिवादीगण को ठेका पर दे रखी थी। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। वादी उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी फूसा के हिस्सा की भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। वादी रेस्पो0 सं0 1 विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण/वादी/रेस्पोडेण्ट सं0 1 का नाम कलमजन करवाकर विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार स्वयं को घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः काउण्टर क्लेम खारिज किया जावे। विवादित भूमि का खाता अलग कायम किया जावे। विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.09.2005 को वाद प्राथमिक डिक्री किया जिसे दिनांक 21.10.2005 को अंतिम डिक्री किया इसके बाद 09.11.2005 को अंतिम फैसला एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.11.2005 को जारी की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया विचारण न्यायला ने चार तनकीयात बरामद की थी लेकिन किसी भी तनकी पर अपना निर्णय नही दिया बहस सुनकर पत्रावली पर आये साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई मुल्यांकन नहीं किया व प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। रेस्पोडेण्ट ने वाद पत्र में आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रश्नगत 4 बीघा भूमि का कब्जा दिलाये जाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया था जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.03.2001 को खारिज कर दिया जिसकी रेस्पोडेण्ट ने कोई अपील नही की है। दिनांक 28.03.2001 का निर्णय अंतिम हो चुका है। इसके अतिरिक्त चक नं. 2 एम.जेडी. में 39.07 बीघा व चक नं. 1 एमएमके में 6.10 बीघा चक 3–4 पीटीपी में लाधूरमा के नाम से 154 हिस्सा व कालू फूसा के नाम से बहिस्सा बरबार 726 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसलिए उक्त चकों में संयुक्त परिवार की आराजी होने के कारण अपीलाण्टान के काउण्टर क्लेम के अनुसार उक्त सभी चकों का विभाजन प्रस्ताव मंगवाना चाहिए लेकिन विचारण न्यायालय ने केवल 4 पीटीपी का ही विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये हैं। विचारण न्यायालय ने अन्य चकों की आराजी के संबंध में कोई आदेश नही दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाट ने प्राथमिक डिक्री अंतिम डिक्री की दो अलग अलग अपीलें पेश करनी चाहिए थी मगर उसके द्वारा एक ही अपील में दोनों डिक्रीयों को चुनौती दी है जो विधि सम्मत नहीं है। पूर्व में दिनांक 24.02.2003 को अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा वाद पत्र को डिक्री किया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष होने पर दिनांक 31.08.2004 को प्रकरण को रिमाण्ड किया किया गया था। इसलिए पुनः तनकी वार निर्णय करने की

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यकता नही है। हमारा वाद पत्र केवल एक चक की भूमि के संबंध में ही था यदि अपीलाण्ट सभी चकों का विभाजन करवाना चाहता है तो उसे अन्य दावा पेश करना चाहिए। विचारण न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा वाद पेश किया गया था जो स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय ने वाद में कुल चार तनकियात कायम की थी लेकिन विचारण न्यायालय ने किसी भी तनकी पर अपना निर्णय नहीं दिया व केवल रेस्पोडेण्ट सं0 1 की बहस सुनकर वाद को डिक्री किया गया है। इसके अतिरिक्त पक्षकारों के संयुक्त परिवार की चक नं. 2 एमजेडी में 39 बीघा 07 बिस्वा व चक नं. 1 एमएमके में 6.10 बीघा, चक374 पीटीपी में लाधूराम के नाम से 154 हिस्सा व कालू, फूसा के नाम से बहिस्सा बराबर 726 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसलिए उक्त चकों में संयुक्त परिवार की आराजी होने के कारण अपलाण्ट के काउण्टर क्लेम के अनुसार उक्त सभी चकों का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना चाहिए था जो नहीं मंगवाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2005 प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.10.2005, एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.11.2005 निरस्त किये जाता हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों चकों की भूमि के संबंध में विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण का तनकीवाईज निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/1/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)